



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल सुपौल।

E-mail ID :- eercdspl@gmail.com, Mobile No. 9470001303

पत्रांक 386(अनु0)/सुपौल, दिनांक 26/02/2022

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल, सुपौल।

सेवा में

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सुपौल।

विषय :- पथ प्रमंडल, सुपौल अंतर्गत मौजा-निर्मली, अंचल-निर्मली, जिला-सुपौल में रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-639-2/सपत्र/आ0, दिनांक-06.08.2020 एवं अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा का पत्रांक-147(अनु0) दिनांक-01.02.2022

महाशय

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि विषयांकित पथ के थाना नं0-97 खाता नं0-130 KA 152 KHA खेसरा नं0-1446(Old) 359, 363(N) में रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रूप में विकसित कर व्यवहार हेतु 05 (पाँच) वर्षों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र विभागीय निर्देश पत्रांक-4770(ई) दिनांक-24.08.2017 एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक-1921(एस.) दिनांक-08.03.2018 के आलोक में निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है।

1. प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गयी सूचनाओं में भविष्य में कोई त्रुटि पायी जाती है तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 2. प्रत्येक पाँच वर्षों के बाद नवीकरण कराना अनिवार्य होगा।
 3. पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने के चार माह पूर्व नवीकरण हेतु आवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा।
 4. विभागीय पत्रांक-4770(ई0) दिनांक-24.08.2017 के कंडिका-06 का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाय।
 5. अनुमोदित नक्शा के अनुसार निर्माण के दौरान Buffer strip की लम्बाई-05 मी0 एवं चौड़ाई-7.5 मी0 करना सुनिश्चित करेंगे।
 6. रिटेल आउटलेट के Boundary से पथ के सेन्टर लाईन की दूरी Minimum-12m रखना सुनिश्चित करेंगे।
 7. पेट्रॉल का अनुमोदित नक्शा की एक प्रति मूल में लौटाई जाती है।
- अनु0:-प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता
पथ प्रमंडल सुपौल।
26/2/22